

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ7(1)/निजमुसं/प्रशि./2012-13/1036-1284 दिनांक:-6-2-13


कार्यालय आदेश

आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना के अन्तर्गत दक्षतावृद्धि एवं प्रशिक्षण मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार उपलब्ध पांच प्रतिशत प्रावधान में से एक प्रतिशत राशि का प्रावधान, आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	गतिविधि	5 प्रतिशत राशि में से प्रावधान प्रतिशत में
1	जलग्रहण क्षेत्र गतिविधियों को दर्शाता हुआ POP / CLAY / WOOD / PLASTIC से बना हुआ मॉडल।	0.15
2	डीस्पले बोर्ड/प्लेगक्सी बोर्ड/होर्डिंग्स	
3	वॉल पेन्टिंग-जलग्रहण गतिविधियों, लक्ष्यो व प्राप्ति आदि को दर्शाती हुई।	0.30
4	जलग्रहण विकास संबंधी मुद्रित पम्पलेटस/लिफ लेटस/चार्ट /पोस्टर/आदि।	
5	नारा लेखन।	
6	सफलता की कहानीयों की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी/ लघु फिल्म एवं कृषको से साक्षात्कार/वार्ता।	0.20
7	निबन्ध व वाद-विवाद प्रतियोगिता।	
8	रेडियो/दूरदर्शन पर वार्ता व विज्ञापन।	
9	सांस्कृतिक त्यौहार / मेले आदि के अवसर पर प्रदर्शनी।	0.15
10	नुकड़ नाटक/सांस्कृतिक कार्यक्रम।	
11	कटपुतली प्रदर्शन।	
12	रात्रि गोष्ठी।	0.20
13	भू संरक्षण सप्ताह।	
14	चेतना रैली।	
15	जलग्रहण विकास का संदेश देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम।	
16	कृषक दिवस का आयोजन एवं क्षेत्र भ्रमण दिवस का आयोजन इत्यादि।	
	कुल	1.00


क्रम संख्या 10, 11 व 12 में दर्शागी गयी गतिविधियों हेतु अधिकतम व्यय प्रति जल ग्रहण क्षेत्र 50000/- रूपयें अनुमत होगा एवं किसी भी प्रकार का प्रिंटेड पुस्तक क्रय किया जाना अनुमत नहीं होगा।

यह आदेश श्रीमान् अति. मुख्यसचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष एस.एल.एन.ए. (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) द्वारा अनुमोदित है।


(डॉ. आरुण मलिक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक

क्रमांक: एफ7(1)/निजमुसं/प्रशि./2012-13/1036-284 दिनांक:- 6-2-13
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष एस.एल. एन.ए. (आई.डब्ल्यू.एम.पी.), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव पंचायती राज राजस्थान जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय।
4. समस्त उपनिदेशक, निदेशालय।
5. ए.सी.पी., निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त परियोजना प्रबंधक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद-
7. समस्त सहायक अभियन्ता, परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) पंचायत समिति-


अतिरिक्त निदेशक
(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)